(79)

न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 4/2022 (पी.डी.आर.)

मैसर्स बोहरा प्रतिष्ठान जरिये प्रबन्धक हेमन्त कुमार बोहरा पिता स्वर्गीय ओंकारलाल जी बोहरा, निवासी 26, शास्त्री मार्ग, उदयपुर (राज.)

.........अपीलान्ट

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, क्षेत्रीय उद्योगशाला खण्ड इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, फलौदी, जोधपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23 (C) पी.डी.आर. एक्ट
विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलेक्टर उदयपुर
दि. 22.10.19 प्र. सं. 1/17 एवं पुनरावलोकन
आदेश दिनांक 28.02.2022 प्र0 सं0 1/2020

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट

———::———

निर्णय   दिनांक 12—09—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर के न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पी.डी.आर. एक्ट 1952 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22—10—2019 को स्वीकार किया जाकर विपक्षी फर्म मैसर्स बोहरा प्रतिष्ठान को राजकीय विभाग पर बाकियात राशि 2,97,555/— रूपये वसूली के आदेश दिये।

उक्त आदेश से व्यथित होकर विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22—10—2019 को प्रार्थी के विरूद्ध बकाया राशि 2,97,555/— रूपये की वसूली का आदेश पारित किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता ने न्यायालय को मिथ्या जानकारी दी है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसे दिनांक 04—02—2019 को खारिज कर दिया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त रिट वर्तमान में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आदेश आज भी लागू है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—10—2019 पर पुनः विचार कर रिव्यू याचिका स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested

भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि 30 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि अनुसार पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है जब कोई गणितीय या लिपकीय त्रुटि हो। हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 28–02–2022 से अपीलान्ट का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–04–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का मूल निर्णय दिनांक 22–10–2019 एवं रिव्यू आदेश दिनांक 28–02–2022 विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आदेश यह कहते हुए पारित किया कि यद्यपि पूर्व आदेश दिनांक 22–10–2019 में गलत वर्णित किया है कि रिट याचिका अपीलान्ट ने विड्रो कर ली है, फिर भी अपने आदेश को यथावत रखने में गम्भीर त्रुटि की है। जब कोई न्यायालय यह मान लेता है कि उसके द्वारा आदेश में कोई त्रुटि हुई है तो उसे रिव्यू के तहत सुधारा जाना चाहिए अथवा पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करना चाहिए। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बता[illegible]ल अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested

विस्तृत विवेचन करते हुए दिनांक 22–10–2019 को रेस्पोन्डेन्ट का पी.डी. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/विपक्षी फर्म पर बाकियात राशि 2,97,555/– रूपये वसूली का आदेश पारित किया है, जिसका पुनरावलोकन प्रार्थना विपक्षी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–02–2022 को अपीलान्ट मैसर्स बोहरा प्रतिष्ठान का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलान्ट की प्रमुख आपत्ति यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रिव्यू आदेश यह कहते हुए पारित किया कि यद्यपि पूर्व आदेश दिनांक 22–10–2019 में गलत वर्णित किया है कि रिट याचिका अपीलान्ट ने विड्रो कर ली है, फिर भी अपने आदेश को यथावत रखने में गम्भीर त्रुटि की है। किन्तु अपीलान्ट की उक्त आपत्ति के आधार पर अपील स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि आदेश दिनांक 22–10–2019 में यह त्रुटि जरूर थी कि उच्च न्यायालय में लम्बित वाद को निस्तारित होना बता दिया गया, लेकिन यह त्रुटि उस निर्णय की प्रकृति को प्रभावित नहीं करती है। अतः इस आधार पर पुनरावलोकन संभव नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधि सम्मत है, क्योंकि पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का स्कोप सीमित होता है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में ऐसी कौन से गणितीय अथवा लिपिकीय त्रुटि हुई है, जिसके आधार पर उनका पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रकट होता हो, यह अपीलान्ट ने स्पष्ट नहीं किया है। समग्रता हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बकाया वसूली के निर्णय एवं पुनरावलोकन आदेश में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का वसूली आदेश दिनांक 22–10–2019 एवं पुनरावलोकन आदेश दिनांक 28–02–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
अतिरिक्त संभागीय राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर